प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एनआरएचएम / एसपीएमयू / मै0डे0आ0 / 54बी / 2013–14/1434–75 दिनांक 03.07.2013

विषय–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि एनुअल हेल्थ सर्वे 2011–12 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 300 प्रति एक लाख जीवित जन्म हो गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017 तक इसे 200 प्रति एक लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा प्रसव सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार के माध्यम से मातृ–मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिये मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। विगत 3 वर्षों में जनपद–स्तरीय विभिन्न समितियां गठित की गयी हैं एवं सभी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित भी किया गया है। चिकित्सा इकाई एवं समुदाय के स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु प्रशिक्षण पुस्तिकाएं व हिन्दी/अंग्रेजी के प्रारूप एन0आर0एच0एम0 उत्तर प्रदेश की अधिकृत वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर रिर्सोसेज मेटीरियल ऑप्शन पर उपलब्ध हैं। भारत सरकार द्वारा प्रेषित विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 13 फरवरी 2013 भी वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर रिर्सोसेज पर उपलब्ध हैं।

जनपद स्तर पर गठित की जाने वाली समितियां इस प्रकार हैं–

1. **जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा समिति**
2. **मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, जिला महिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (चिन्हित 200 एफ0आर0यू0) पर फैसिलिटी बेस्ड मातृ मृत्यु समीक्षा समिति**

इन सभी समितियों का गठन कर प्रत्येक माह इनकी बैठक की जानी है जिससे इकाई वार अनुमानित मातृ मृत्यु के सापेक्ष सूचित की गयी मातृ मृत्यु की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। अत्यन्त खेद का विषय है कि गत वर्ष प्रदेश में अनुमानित मातृ मृत्यु (जनपद वार आंकड़ों के अनुसार लगभग 19,268) के सापेक्ष कुल 1337 (7.03 प्रतिशत) मातृ मृत्यु सूचित की गयीं एवं 1180 (6.12 प्रतिशत) की ही समीक्षा की गयी। यह स्पष्ट है कि जनपद स्तर पर यह कार्यक्रम अभी प्राथमिकता पर नहीं लिया जा रहा है।

संलग्न तालिका **(संलग्नक–1)** पर प्रत्येक जनपद की जनसंख्या (जनगणना 2011), जन्म दर एवं मातृ मृत्यु दर (एनुअल हेल्थ सर्वे 2010–11) के आधार पर निम्नतालिका पर दिए गए मातृ–मृत्यु दर के अनुसार वर्ष में कुल होने वाली मातृ–मृत्युओं की संख्या प्रदर्शित है। इस संख्या को मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु वार्षिक लक्ष्य मानते हुए जनपद एवं मण्डल स्तर पर सूचित की गयी मातृ मृत्यु की समीक्षा की जानी है। प्रत्येक जनपद पर सभी चिकित्सा इकाईयों के प्रभारियों की बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि मातृ मृत्यु की सूचना देने पर किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी। जनपद पर कुल सम्भावित मातृ मृत्यु के सापेक्ष न्यूनतम 80 प्रतिशत की सूचना प्राप्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न स्तरों

से सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक माह ब्लाक वार समीक्षा की जानी चाहिए।

3. **15 से 49 वर्ष के मध्य किसी भी महिला की मृत्यु की रिपोर्ट करने पर प्राथमिक सूचना दाता (आशा, ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री अथवा ग्राम चौकीदार) को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि–**

- वर्तमान में आशाओं के माध्यम से मातृ मृत्यु सूचना बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा सूचना के लिये प्रोत्साहन धनराशि बढ़ाकर **रू0–200.00** प्रति मृत्यु कर दी गई है। यदि क्षेत्र में आशा नहीं है अथवा सक्रिय नहीं है तो यह धनराशि किसी भी प्राथमिक सूचना दाता (आशा, ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री अथवा ग्राम चौकीदार) को दी जा सकती है।
- आशाओं को इसके लिये विस्तार से जानकारी दे दी जाय कि अपने क्षेत्र में होने वाली 15 से 49 वर्ष के मध्य किसी भी महिला की मृत्यु (स्पष्ट रूप से एक्सीडेन्ट व हत्या आदि को छोड़कर) की सूचना देने पर उन्हें प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। आप अवगत हैं कि 8–10 आशाओं के क्षेत्र के बीच वर्ष में केवल एक ही मातृ मृत्यु संभावित है।
- सभी जनपदों में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0 एवं जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि माह जुलाई 2013 के अन्त तक सभी विकास खण्डों पर आशाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें विस्तार से प्रारूप–6 पर मातृ मृत्यु की सूचना अंकित कर ब्लाक प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रेषित करने के विषय में समझा दिया जाय। प्राथमिक सूचना दाताओं को यह सूचना मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर दूरभाष द्वारा एवं प्रारूप–6 पर अधिकतम 72 घंटे के भीतर ए0एन0एम0/ब्लाक प्रभारी चिकित्साधिकारी को दी जानी होगी।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशाओं को प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली धनराशि की समीक्षा जनपद स्तर पर होने वाली मासिक बैठकों में की जायगी। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि मातृ मृत्यु सम्बन्धी किसी भी सूचना की अनदेखी न हो एवं मासिक समीक्षा के दौरान **"शून्य"** रिपोर्टिंग वाले विकास खण्डों के प्रभारियों को चेतावनी दी जाय।

4. **मातृ मृत्यु के प्राथमिक सूचनादाताओं की अभिमुखीकरण बैठक–** भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मातृ मृत्यु की सूचना को बढ़ाने के लिये प्राथमिक सूचना दाताओं (आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, ग्राम चौकीदार/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) **का अभिमुखीकरण किया** जाना है। इसके लिये 50 प्रतिभागियों का एक बैच बनाकर ब्लाक स्तर पर इनकी आधे दिवस की एक बैठक बुला ली जाय जिसमें इनको मातृ मृत्यु की सूचना का महत्व एवं प्रारूप–6 पर सूचित करने के विषय में विस्तार से समझायें। इस अभिमुखीकरण के लिये प्रत्येक ब्लाक को रू0 50.00 प्रति प्रतिभागी (अधिकतम कार्यरत आशायें X 3 की संख्या तक) धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रारूप–6 की एक प्रति भी दे दी जाय। प्रत्येक जनपद को उपरोक्तानुसार धनराशि आवंटित की जा रही है। यह गतिविधि हर स्थिति में माह जुलाई 2013 में पूर्ण कर ली जाय।

5. **सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु ऑडिट हेतु आशा, ए0एन0एम0 एवं पारिवारिक सदस्य को प्रोत्साहन राशि–** पूर्व की व्यवस्था के अनुसार सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु ऑडिट हेतु आशा, ए0एन0एम0 एवं 1 पारिवारिक सदस्य में प्रत्येक को रू0 100.00 की धनराशि दी जायगी। इस प्रकार प्रत्येक सामुदायिक



Hy

स्तर पर मातृ मृत्यु ऑडिट के लिए रू0 300.00 की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। प्रत्येक जनपद पर कुल सम्भावित मातृ मृत्यु के 60 प्रतिशत की सामुदायिक स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा करने हेतु रू0 300.00 प्रति समीक्षा की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इस गतिविधि की भी जनपद स्तरीय मासिक बैठक में समीक्षा की जाय।

**6. जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा–**

- **जनपद स्तर पर मासिक मातृ मृत्यु समीक्षा बैठकों का आयोजन–** जनपद स्तर पर प्रत्येक माह मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा समिति की बैठक बुलाकर मातृ–मृत्यु की सूचना एवं ऑडिट (फैसिलिटी बेस्ड मैटरनल डेथ ऑडिट, सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु ऑडिट) की समीक्षा की जाय। इस गतिविधि हेतु कोई धनराशि प्राविधानित नहीं है। मासिक समीक्षा की रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति की प्रत्येक बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय। इस बैठक में मासिक मातृ–मृत्यु के सापेक्ष रिपोर्ट हुई मातृ–मृत्यु का संभावित आंकलन कर समीक्षा की जाय।

- **जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक त्रैमास मातृ–मृत्यु की रिपोर्टिंग, ऑडिट व विश्लेषण के प्रस्तुतीकरण हेतु बैठकों का आयोजन** – पूर्व वर्ष की व्यवस्थानुसार प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जनपद स्तर पर सभी मातृ–मृत्यु ऑडिट रिपोर्टों (फैसिलिटी बेस्ड मैटरनल डेथ ऑडिट एवं सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु ऑडिट) का विश्लेषण कर जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुतीकरण किया जाय।

  - ➢ प्रथम त्रैमास के पश्चात दो दिवसीय अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाय जिसमें प्रथम दिवस पर सभी समितियों के सदस्यों को मातृ–मृत्यु ऑडिट के सम्बन्ध में पुनः विस्तृत जानकारी दी जाय। इस दिवस पर सब छूटे हुए सदस्यों/चिकित्साधिकारियों का अभिमुखीकरण कर दिया जाय। दूसरे दिन सभी मातृ–मृत्यु ऑडिट रिपोर्टों का विश्लेषण कर प्रस्तुतीकरण किया जाय। प्रथम त्रैमास के पश्चात दो दिवसीय अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक जनपद को रू0–10000.00 की धनराशि अनुमन्य है।
  - ➢ अवशेष द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास के पश्चात जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मातृ–मृत्यु ऑडिट रिपोर्टों का विश्लेषण कर प्रस्तुतीकरण हेतु एक दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाय। इन बैठकों के लिए प्रति बैठक रू0–5000.00 की दर से कुल रू0– 15000.00 की धनराशि अनुमन्य है। इस प्रकार जनपद स्तर पर त्रैमासिक विश्लेषण बैठकों के लिए कुल रू0–25000.00 (रू0 10000.00+5000.00+5000.00+5000.00) की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- **मण्डल स्तर पर मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग, ऑडिट व विश्लेषण हेतु त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन** –प्रत्येक मण्डल स्तर पर अपर निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन एवं मीडिया को सम्बोधित किये जाने के लिये प्रति मण्डल रू0–25000.00 की दर से रू0–100000.00 की धनराशि मण्डलीय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है। इस बैठक में मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के कार्यक्रम प्रभारी व सभी जनपदीय समितियों के अध्यक्ष प्रतिभाग करें। सभी जनपदों के प्रभारी इस बैठक के आयोजन से पूर्व जनपद स्तरीय त्रैमासिक बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।

7. **मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं विभिन्न रिपोर्टिंग प्रपत्र की वार्षिक छपाई–** मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र की छपाई हेतु सभी जनपदों को रू0–1000.00 प्रति ब्लाक की दर से धनराशि अनुमन्य है। इसी धनराशि से जनपद स्तरीय इकाईयों पर भी व्यवस्था की जाय।

8. **अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग:–**

- कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये गये जिला स्तरीय भौतिक प्रगति का रिपोर्टिंग प्रपत्र–**M-4 (संलग्नक–2)** जो संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, पर नियमित रिपोर्टिंग प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से राज्य स्तर पर जे0एस0वाई0 सेल, परिवार कल्याण निदेशालय को भेजी जायें। इसे **uks1974@hotmail.com, vkssinghal033@gmail.com** एवं **mchjsy@gmail.com** पर भी ससमय प्रेषित किया जाय।

9. **वित्तीय व्यवस्था–**उपर्युक्त क्रम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि–

- आशा/ए0एन0एम0/मृतका के परिवार के सदस्य को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायगा।
- प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- समस्त गतिविधियों की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय विवरण समयबद्ध रूप से एन0आर0एच0एम0 तथा निदेशक–मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण महानिदेशालय को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

**पत्रसं0**–एनआरएचएम/एसपीएमयू/मै0डे0आ0/54बी/2013–14/1434-75-9 **तद्दिनांक।**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ,एन0आर0एच0एम0,उत्तर प्रदेश।
5 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6 वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7 समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
8 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0आर0एच0एम0,उ0प्र0।
9 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

02/7/13
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

# District wise budgetary allocation for MDR, 2013-14 UP

| Division | | District | No. of Blocks | N0 of Existing ASHAs | Expected No. of Maternal Deaths | 60% of Expected No. of Maternal Deaths | Budget for CBMDR @ Rs.300/MDR for 60% maternal draths | Budget for printing format @ 1000 per block | Budget for orientation of primary informar @ Rs.150 per ASHA | Budget for 4 quarterly meetings @ Rs.25000.00 per year in Lakhs | Budget for 4 quarterly review at division @ Rs.25000.00 per review in Lakhs | Budget for independent evaluation team @ no. of maternal death * 80% *3000 | TOTAL Budget in Rs. Lakhs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMR Code | | | | | | | A.1.5 | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Agra | 1 | Agra | 15 | 2135 | 299 | 179 | 0.54 | 0.15 | 3.20 | 0.25 | 1.00 | | 5.14 |
| | 2 | Firozabad | 9 | 1256 | 183 | 110 | 0.33 | 0.09 | 1.88 | 0.25 | | | 2.55 |
| | 3 | Mainpuri | 9 | 1453 | 126 | 76 | 0.23 | 0.09 | 2.18 | 0.25 | | | 2.75 |
| | 4 | Mathura | 10 | 1544 | 162 | 97 | 0.29 | 0.1 | 2.32 | 0.25 | | | 2.96 |
| Aligarh | 5 | Aligarh | 12 | 2196 | 382 | 229 | 0.69 | 0.12 | 3.29 | 0.25 | 1.00 | | 5.35 |
| | 6 | Etah | 8 | 1439 | 144 | 86 | 0.26 | 0.08 | 2.16 | 0.25 | | | 2.75 |
| | 7 | Kasganj | 7 | 1065 | 118 | 71 | 0.21 | 0.07 | 1.60 | 0.25 | | | 2.13 |
| | 8 | Hathras | 7 | 1105 | 163 | 98 | 0.29 | 0.07 | 1.66 | 0.25 | | | 2.27 |
| Allahabad | 9 | Allahabad | 20 | 3738 | 700 | 420 | 1.26 | 0.2 | 5.61 | 0.25 | 1.00 | 16.80 | 25.12 |
| | 10 | Fatehpur | 13 | 1748 | 278 | 167 | 0.50 | 0.13 | 2.62 | 0.25 | | 6.67 | 10.18 |
| | 11 | Kaushambi | 8 | 1272 | 202 | 121 | 0.36 | 0.08 | 1.91 | 0.25 | | 4.85 | 7.45 |
| | 12 | Pratapgarh | 17 | 2907 | 400 | 240 | 0.72 | 0.17 | 4.36 | 0.25 | | 9.60 | 15.10 |
| Azamgarh | 13 | Azamgarh | 22 | 2817 | 498 | 299 | 0.90 | 0.22 | 4.23 | 0.25 | 1.00 | | 6.59 |
| | 14 | Ballia | 17 | 2567 | 348 | 209 | 0.63 | 0.17 | 3.85 | 0.25 | | | 4.90 |
| | 15 | Mau | 9 | 1629 | 180 | 108 | 0.32 | 0.09 | 2.44 | 0.25 | | | 3.11 |
| Bareilly | 16 | Bareilly | 15 | 1905 | 553 | 332 | 1.00 | 0.15 | 2.86 | 0.25 | 1.00 | 13.27 | 18.53 |
| | 17 | Budaun | 15 | 2090 | 437 | 262 | 0.79 | 0.15 | 3.14 | 0.25 | | 10.49 | 14.81 |
| | 18 | Pilibhit | 7 | 1011 | 230 | 138 | 0.41 | 0.07 | 1.52 | 0.25 | | 5.52 | 7.77 |
| | 19 | Shahjahanpur | 15 | 1902 | 374 | 224 | 0.67 | 0.15 | 2.85 | 0.25 | | 8.98 | 12.90 |
| Basti | 20 | Basti | 14 | 2028 | 280 | 168 | 0.50 | 0.14 | 3.04 | 0.25 | 1.00 | 6.72 | 11.66 |
| | 21 | Sant Kabir Nagar | 9 | 1138 | 220 | 132 | 0.40 | 0.09 | 1.71 | 0.25 | | 5.28 | 7.72 |
| | 22 | Siddharth Nagar | 14 | 1786 | 280 | 168 | 0.50 | 0.14 | 2.68 | 0.25 | | 6.72 | 10.29 |
| Chitrakoot | 23 | Banda | 8 | 1096 | 306 | 184 | 0.55 | 0.08 | 1.64 | 0.25 | | | 2.53 |
| | 24 | Chitrakoot | 5 | 739 | 46 | 28 | 0.08 | 0.05 | 1.11 | 0.25 | 1.00 | | 2.49 |
| | 25 | Hamirpur | 7 | 866 | 119 | 72 | 0.22 | 0.07 | 1.30 | 0.25 | | | 1.84 |
| | 26 | Mahoba | 4 | 645 | 359 | 215 | 0.65 | 0.04 | 0.97 | 0.25 | | | 1.90 |
| Faizabad | 27 | Ambedkar Nagar | 9 | 2362 | 273 | 164 | 0.49 | 0.09 | 3.54 | 0.25 | | 6.55 | 10.93 |
| | 28 | Barabanki | 15 | 2551 | 398 | 239 | 0.72 | 0.15 | 3.83 | 0.25 | | 8.40 | 13.34 |
| | 29 | Amethi | 16 | 2100 | 350 | 210 | 0.63 | 0.16 | 3.15 | 0.25 | | 9.55 | 13.74 |
| | 30 | Faizabad | 11 | 2343 | 312 | 187 | 0.56 | 0.11 | 3.51 | 0.25 | 1.00 | 7.49 | 12.92 |
| | 31 | Sultanpur | 13 | 2343 | 322 | 193 | 0.58 | 0.13 | 3.51 | 0.25 | | 7.73 | 12.20 |
| Gonda | 32 | Bahraich | 14 | 2202 | 434 | 260 | 0.78 | 0.14 | 3.30 | 0.25 | | 10.42 | 14.89 |
| | 33 | Balrampur | 9 | 1463 | 323 | 194 | 0.58 | 0.09 | 2.19 | 0.25 | | 7.75 | 10.87 |
| | 34 | Gonda | 16 | 2533 | 416 | 250 | 0.75 | 0.16 | 3.80 | 0.25 | 1.00 | 9.98 | 15.94 |
| | 35 | Shrawasti | 5 | 933 | 198 | 119 | 0.36 | 0.05 | 1.40 | 0.25 | | 4.75 | 6.81 |
| | 36 | Deoria | 16 | 2308 | 292 | 175 | 0.53 | 0.16 | 3.46 | 0.25 | | | 4.40 |
| Gorakhpur | 37 | Gorakhpur | 19 | 2328 | 394 | 237 | 0.71 | 0.19 | 3.49 | 0.25 | 1.00 | | 5.64 |

| Division | | District | No. of Blocks | NO of Existing ASHAs | Expected No. of Maternal Deaths | 60% of Expected No. of Maternal Deaths | Budget for CBMDR @ Rs.300/MDR for 60% maternal draths | Budget for printing format @ 1000 per block | Budget for orientation of primary informar @ Rs.150 per ASHA | Budget for 4 quarterly meetings @ Rs.25000.00 per year in Lakhs | Budget for 4 quarterly review at division @ Rs.25000.00 per review in Lakhs | Budget for independent evaluation team @ no. of maternal death * 80% *3000 | TOTAL Budget in Rs. Lakhs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMR Code | | | | | | | A.1.5 | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Gorakhpur | 38 | Kushinagar | 14 | 2737 | 381 | 228 | 0.68 | 0.14 | 4.11 | 0.25 | | | 5.18 |
| | 39 | Maharajganj | 12 | 1998 | 274 | 164 | 0.49 | 0.12 | 3.00 | 0.25 | | | 3.86 |
| Jhansi | 40 | Jalaun | 9 | 872 | 91 | 55 | 0.17 | 0.09 | 1.31 | 0.25 | | | 1.81 |
| | 41 | Jhansi | 8 | 1116 | 95 | 57 | 0.17 | 0.08 | 1.67 | 0.25 | 1.00 | | 3.18 |
| | 42 | Lalitpur | 6 | 758 | 85 | 51 | 0.15 | 0.06 | 1.14 | 0.25 | | | 1.60 |
| Kanpur | 43 | Auraiya | 7 | 1003 | 100 | 60 | 0.18 | 0.07 | 1.50 | 0.25 | | | 2.00 |
| | 44 | Etawah | 8 | 1116 | 180 | 108 | 0.32 | 0.08 | 1.67 | 0.25 | | | 2.33 |
| | 45 | Farrukhabad | 7 | 1199 | 120 | 72 | 0.22 | 0.07 | 1.80 | 0.25 | | | 2.33 |
| | 46 | Kannauj | 8 | 1492 | 120 | 72 | 0.22 | 0.08 | 2.24 | 0.25 | | | 2.78 |
| | 47 | Kanpur Dehat | 10 | 1639 | 100 | 60 | 0.18 | 0.1 | 2.46 | 0.25 | | | 2.99 |
| | 48 | Kanpur Nagar | 10 | 1423 | 254 | 152 | 0.46 | 0.1 | 2.13 | 0.25 | 1.00 | | 3.94 |
| Lucknow | 49 | Hardoi | 19 | 2608 | 364 | 218 | 0.65 | 0.19 | 3.91 | 0.25 | | | 5.01 |
| | 50 | Lakhimpur Kheri | 15 | 2978 | 452 | 271 | 0.81 | 0.15 | 4.47 | 0.25 | | | 5.68 |
| | 51 | Lucknow | 8 | 1269 | 284 | 170 | 0.51 | 0.08 | 1.90 | 0.25 | 1.00 | | 3.74 |
| | 52 | Rae Bareli | 15 | 1922 | 238 | 143 | 0.43 | 0.15 | 2.88 | 0.25 | | | 3.71 |
| | 53 | Sitapur | 19 | 2935 | 419 | 252 | 0.76 | 0.19 | 4.40 | 0.25 | | | 5.60 |
| | 54 | Unnao | 16 | 2268 | 210 | 126 | 0.38 | 0.16 | 3.40 | 0.25 | | | 4.19 |
| Meerut | 55 | Bagpat | 6 | 892 | 76 | 45 | 0.14 | 0.06 | 1.34 | 0.25 | | | 1.78 |
| | 56 | Bulandshahar | 16 | 2100 | 235 | 141 | 0.42 | 0.16 | 3.15 | 0.25 | | | 3.98 |
| | 57 | Gautam Buddha | 4 | 549 | 102 | 61 | 0.18 | 0.04 | 0.82 | 0.25 | | | 1.30 |
| | 58 | Ghaziabad | 4 | 526 | 136 | 82 | 0.25 | 0.04 | 0.79 | 0.25 | | | 1.33 |
| | 59 | Hapur | 4 | 514 | 121 | 73 | 0.22 | 0.04 | 0.77 | 0.25 | | | 1.28 |
| | 60 | Meerut | 12 | 1339 | 232 | 139 | 0.42 | 0.12 | 2.01 | 0.25 | 1.00 | | 3.80 |
| Mirzapur | 61 | Mirzapur | 12 | 1673 | 198 | 119 | 0.36 | 0.12 | 2.51 | 0.25 | 1.00 | | 4.24 |
| | 62 | Sant Ravidas | 6 | 1200 | 133 | 80 | 0.24 | 0.06 | 1.80 | 0.25 | | | 2.35 |
| | 63 | Sonbhadra | 8 | 1115 | 160 | 96 | 0.29 | 0.08 | 1.67 | 0.25 | | | 2.29 |
| Moradabad | 64 | Bijnor | 11 | 2197 | 306 | 184 | 0.55 | 0.11 | 3.30 | 0.25 | | | 4.21 |
| | 65 | Jyotiba Phule | 6 | 945 | 165 | 99 | 0.30 | 0.06 | 1.42 | 0.25 | | | 2.02 |
| | 66 | Moradabad | 8 | 1521 | 280 | 168 | 0.50 | 0.08 | 2.28 | 0.25 | 1.00 | | 4.12 |
| | 67 | Rampur | 6 | 1389 | 202 | 121 | 0.36 | 0.06 | 2.08 | 0.25 | | | 2.76 |
| | 68 | Sambhal | 8 | 1405 | 195 | 117 | 0.35 | 0.08 | 2.11 | 0.25 | | | 2.79 |
| Saharanpur | 69 | Muzaffarnagar | 9 | 1610 | 224 | 134 | 0.40 | 0.09 | 2.42 | 0.25 | | | 3.16 |
| | 70 | Saharanpur | 11 | 1804 | 311 | 186 | 0.56 | 0.11 | 2.71 | 0.25 | 1.00 | | 4.62 |
| | 71 | Shamali | 5 | 810 | 114 | 68 | 0.20 | 0.05 | 1.22 | 0.25 | | | 1.72 |
| Varanasi | 72 | Chandauli | 9 | 1618 | 178 | 107 | 0.32 | 0.09 | 2.43 | 0.25 | | | 3.09 |
| | 73 | Ghazipur | 16 | 2980 | 346 | 208 | 0.62 | 0.16 | 4.47 | 0.25 | | | 5.50 |
| | 74 | Jaunpur | 21 | 3877 | 434 | 260 | 0.78 | 0.21 | 5.82 | 0.25 | | | 7.06 |
| | 75 | Varanasi | 8 | 1813 | 254 | 152 | 0.46 | 0.08 | 2.72 | 0.25 | 1.00 | | 4.51 |
| TOTAL | | | 820 | 128753 | 19268 | 11560 | 34.68 | 8.20 | 193.13 | 18.75 | 18.00 | 167.52 | 440.28 |